रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24102024-258223
CG-DL-E-24102024-258223

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4282] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 24, 2024/कार्तिक 2, 1946
No. 4282] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 24, 2024/KARTIKA 2, 1946

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अक्तूबर, 2024

का.आ. 4658(अ).—वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग), नई दिल्ली की अधिसूचनाओं, 18 अप्रैल, 2016 के का.आ.1443(अ), 16 अप्रैल, 2020 के का.आ.1261(अ), 1 जुलाई, 2021 के का.आ.2668(अ), 31 जनवरी, 2023 के का.आ.457(अ) और 21 मार्च, 2023 के का.आ.1361(अ) में आंशिक संशोधन करते हुए केंद्रीय सरकार, एतद्वारा, सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि (सीजीएफएमयू) नामक योजना, जिसे इसके पश्चात् उक्त योजना कहा जाएगा, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

1. 18 अप्रैल, 2016 की अधिसूचना संख्या का.आ.1443(अ) के अध्याय I के पैरा क्रम सं. 2 (xi) में संशोधन किया गया है जिसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

"सूक्ष्म ऋण" से अभिप्रेत है ऋण-प्रदाता संस्था द्वारा पात्र उधारकर्ता को संपार्श्विक मुक्त/तृतीय पक्ष गारंटी मुक्त ऋण/सीमा के रूप में दी गई वित्तीय सहायता (वर्तमान में **20 लाख रुपए**) जो निधि द्वारा विनिर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुरूप हो। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तत्वावधान में, पहले ही सूक्ष्म ऋणों के विकास तथा वित्तपोषण में सहायता हेतु मुद्रा लि. का सृजन किया गया है। मुद्रा लि. के इन योजना रूपी मध्यक्षेपों को शिशु, किशोर, तरुण

तथा **तरुण प्लस** नाम दिया गया है जिनसे लाभग्राही सूक्ष्म इकाई/उद्यमी की संवृद्धि/विकास तथा निधिक आवश्यकताओं और उनके अगले चरण के उन्नयन/संवृद्धि के संदर्भ बिन्दु का द्योतन होता है। इन्हें निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:-

- शिशु: 50,000 तक के ऋणों को कवर किया जाता है।
- किशोर: 50,000 से उपर और 5 लाख तक के ऋणों को कवर किया जाता है।
- तरुण: 5 लाख से उपर और 10 लाख तक के ऋणों को कवर किया जाता है।
- **तरुण प्लस: इसमें उन उद्यमियों के लिए 10 लाख से उपर तथा 20 लाख तक के ऋणों को कवर किया जाता है जिन्होंने तरुण श्रेणी के अंतर्गत ऋण लिया हो तथा उसका सफलतापूर्वक पुनर्भुगतान किया हो।**

इसके अतिरिक्त, पीएमजेडीवाई खातों के अंतर्गत स्वीकृत 10,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट सुविधा भी क्रेडिट गारंटी निधि के अंतर्गत कवर किए जाने हेतु पात्र होगी।

2. 18 अप्रैल, 2016 की अधिसूचना का.आ.1443(अ) के अध्याय I के पैरा क्रम सं. 2 (xii) में संशोधन किया गया है जिसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

"पात्र उधारकर्ता" से अभिप्रेत है पीएमएमवाई के तहत आने वाला कोई क्षेत्र या एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) में यथा परिभाषित नई अथवा मौजूदा सूक्ष्म इकाई/उद्यम जिनमें संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) संरचना के अंतर्गत व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप से (जेएलजी के अंतर्गत गारंटी की उपलब्धता को ध्यान में रखे बिना) स्थापित सूक्ष्म इकाई/उद्यम शामिल है, जो निधि द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करता है और जिसकी ऋण आवश्यकता पीएमएमवाई के अंतर्गत विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक न हो, के अंतर्गत आता है। ऋण की विनिर्दिष्ट सीमा 20 लाख रुपए अथवा कोई अन्य ऐसी राशि होगी जो निधि द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएगी। इसके अतिरिक्त, पीएमजेडीवाई खातों के तहत स्वीकृत 10,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट ऋण राशि भी क्रेडिट गारंटी निधि के अंतर्गत कवर किए जाने हेतु पात्र होगी। पात्र उधारकर्ताओं से वैसे स्वयं सहायता समूह भी अभिप्रेत होंगे जो निधि द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों तथा जिनकी ऋण राशि 10 लाख रुपए से उपर तथा 20 लाख रुपए तक हो।

3. 18 अप्रैल, 2016 की अधिसूचना संख्या का.आ.1443(अ) के अध्याय II के पैरा क्रम सं. 4 को निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

निधि सदस्य ऋणदात्री संस्था(ओं) द्वारा पात्र उधारकर्ता को प्रदान की गई विनिर्दिष्ट सीमा (**वर्तमान में 20 लाख रुपए**) के सूक्ष्म ऋणों को कवर करेगी, बशर्ते ऋणदात्री संस्था ऐसे मंजूर किए गए ऋणों के संबंध में गारंटी कवर को उस समयावधि में और प्रक्रियानुसार आवेदन करे जो इस उद्देश्य के लिए निधि द्वारा विनिर्दिष्ट हो।

इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत स्वीकृत 10,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट ऋण राशि भी ऋण गारंटी निधि के अंतर्गत कवर किए जाने हेतु पात्र होगी। यह नोट किया जा सकता है कि पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म ऋण जिसमें पीएमजेडीवाई के अंतर्गत ओवरड्राफ्ट शामिल है जिसे 8 अप्रैल, 2015 से स्वीकृत किया गया है, योजना के अंतर्गत गारंटी कवर के लिए पात्र होगा। निधि अपने विवेकानुसार उन सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं और/अथवा योजनाओं की एक सूची अनुमोदित/तैयार करेगी जिनके लिए गारंटी कवर उपलब्ध होगा अथवा ऐसी नकारात्मक सूची भी अनुमोदित/तैयार करेगी जिनके लिए गारंटी कवर उपलब्ध नहीं होगा।

4. योजना के संबंध में पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं की सभी निबंधन और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

5. यह अधिसूचना 24.10.2024 से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 6/12/2024- मिशन ऑफिस, डीएफएस]

प्रशांत कुमार गोयल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th October, 2024

S.O. 4658(E).—In partial modification of MINISTRY OF FINANCE (Department of Financial Services), New Delhi NOTIFICATIONS S.O. 1443(E) dated 18th April, 2016, S.O. 1261(E) dated 16th April, 2020, S.O. 2668(E) dated 01st July, 2021, S.O. 457(E) dated 31st January, 2023 and S.O. 1361(E) dated 21st March, 2023 appearing in the Gazette of India: EXTRAORDINARY PART II – Section 3 – Sub-section (ii) publishing the Scheme of Credit Guarantee Fund for Micro Units (CGFMU) (hereinafter referred to as the said Scheme), the Central Government hereby makes the following amendments to the Scheme, namely :-

1. Paragraph 2 (xi) of Chapter I of Notification number S.O. 1443(E) dated 18th April, 2016 has been modified and shall read as:

   "Micro Loan" means any financial assistance by way of collateral free/third party guarantee free loan/limit (currently **Rs.20 lakh**), extended by the lending institution to the eligible borrower, as per the guidelines prescribed by the Fund. Under the aegis of Pradhan Mantri MUDRA Yojana, MUDRA Ltd. has already been created to support development and financing of micro loans. The schematic interventions of MUDRA Ltd. have been named 'Shishu', 'Kishor' 'Tarun' and **'Tarun Plus'** to signify the stage of growth / development and funding needs of the beneficiary micro unit / entrepreneur and also provide a reference point for the next phase of graduation / growth. They are presently defined as under:

   - Shishu: covering loans upto 50,000/-
   - Kishor: covering loans above 50,000/- and upto 5 lakh
   - Tarun: covering loans above 5 lakh and upto 10 lakh
   - **Tarun Plus: covering loans above 10 lakh and upto 20 lakh for those entrepreneurs who have availed and successfully repaid previous loans under the 'Tarun' category**.

   Further, Overdraft facility of Rs.10,000/- sanctioned under PMJDY accounts shall also be eligible to be covered under Credit guarantee Fund.

2. Paragraph 2 (xii) of Chapter I Notification S.O. 1443(E) dated on 18th April, 2016 has been modified and shall read as:

   "Eligible borrower" means new or existing micro unit / enterprise, including micro unit/enterprise set up under Joint Liability Group (JLG) framework, individually or jointly (irrespective of the availability of guarantee under JLG), falling under any sector covered under PMMY or as defined in the MSMED Act, 2006 (as amended from time to time), who meets eligibility criteria prescribed by the Fund and whose credit requirement does not exceed the specified limit under PMMY. Specified limit of the loan shall be **Rs.20 lakh as defined above** or such other amount as may be decided by the Fund from time to time. Further, Overdraft loan amount of Rs.10,000/- sanctioned under PMJDY accounts shall also be eligible to be covered under Credit guarantee Fund. Eligible borrower would also mean Self Help Groups who meet eligibility criteria prescribed by the Fund and whose loan amount is above Rs.10 lakh and upto Rs.20 lakh.

3. Paragraph 4 of Chapter II of Notification number S.O. 1443(E) dated the 18th April, 2016, shall be read as:

   The Fund shall cover micro loans upto the specified limit **(currently Rs.20 lakh)** extended by Member Lending Institution(s) to an eligible borrower, provided that the lending institution applies for guarantee cover in respect of such loans so sanctioned within such time period and as per procedures prescribed by the Fund for the purpose. Further, Overdraft loan amount of Rs.10,000/- sanctioned under PMJDY accounts shall also be eligible to be covered under Credit guarantee Fund.

   It may be noted that micro loans under PMMY inclusive of overdraft under PMJDY, sanctioned since 8th April 2015 would qualify for guarantee cover under the scheme.

   The Fund may, at its discretion, approve/frame a list of Member Lending Institutions and /or their schemes, for which the guarantee cover will be available, or a negative list for which the guarantee cover shall not be available.

4. All other terms and conditions of the earlier Notifications on the Scheme shall remain unchanged.

5. The Notification shall come into effect from 24.10.2024

[F. No. 6/12/2024 – Mission Office, DFS]

PARSHANT KUMAR GOYAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2024.10.24 21:50:16 +05'30'